प्रेस विज्ञप्ति

12.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने जगदीश प्रसाद सरवते, पूर्व उप निदेशक, आदिम जाति कल्याण विभाग, जबलपुर, मध्य प्रदेश की 11.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुक कर लिया है।

ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), जबलपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित) की धारा 13(1)(बी) के साथ पठित 13(2) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने के लिए जांच शुरू की।

उक्त अपराध के आधार पर, ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। ईडी की जांच में पता चला कि जगदीश प्रसाद ने जांच अवधि के दौरान जबलपुर, मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग में काम करते हुए अवैध रूप से अर्जित धन से विभिन्न अचल संपत्तियां हासिल की थीं। इनमें मध्य प्रदेश के भोपाल, मंडला, उमरिया और सिवनी जिलों में स्थित आवासीय संपत्तियां, कृषि भूमि, व्यावसायिक भूमि और रेस्तरां शामिल हैं। कई संपत्तियां भारी नकद भुगतान के माध्यम से अधिग्रहित की गईं, जबकि अन्य का वित्तपोषण (फाइनैन्स) अज्ञात नकद जमा के माध्यम से चुकाए गए ऋणों द्वारा किया गया था।

जांच में प्रथम दृष्टया यह स्थापित हुआ कि सरवते ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके अपराध की आय अर्जित की और बाद में उसे अचल संपत्तियों में रखकर, उसमें हेरफेर करके और उसे एकीकृत करके मनी लॉन्ड्रिंग की, जिससे दागी धन को बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया जा सके।

तदनुसार, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत 11.81 करोड़ रुपये मूल्य की 9 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है ताकि उनके हस्तांतरण या निपटान को रोका जा सके और ज़ब्ती की कार्यवाही शुरू की जा सके।

पीएमएलए के तहत आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।